न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीनिधि बी टी (आई0ए0एस0)**
जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 13/2024 **जीसीएमएस नम्बर 2024/32**

उनवान प्रकरण

1–रामअवतार
2–जण्डैल
3–रामस्वरूप

पुत्रगण स्व0 श्री रामप्रसाद
जातिगण गुर्जर निवासीगण ग्राम फौंदपुरा तहसील बाडी
जिला धौलपुर

....................**अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का बीलौनी तहसील बाडी जिला धौलपुर

...................**रेस्पोडेण्ट**

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 10.01.2020
मु0नं0 39/2019 सरकार बनाम रामअवतार वगैरा
अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालय
नायव तहसीलदार कंचनपुर (तहसील बाडी)

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री भगवती प्रसाद झां एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– **पैरोकार सरकार**

निर्णय **दिनांक : 30.09.2024**

उक्त अपील अपीलान्टांस द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टांस को आराजी खसरा नम्बर 784 रकवा 16 वीधा 16 विस्वा व 1103 रकवा 06 बीघा एवं खसरा नं0 1149 रकवा 04 बीघा 19 विस्वा में से 09 बीघा ग्राम फौदपुरा चारागाह भूमि पर सम्वत् 2076 में फसल सरसों बोई गई है अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए उक्त आराजी से बेदखल कर भू–राजस्व 40.50 रूपये का 50 गुना राशि 2025 रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए 01 माह का सिविल कारावास का निर्णय दिनांक 10.01.2020 को पारित किया गया है। उक्त निर्णय की जानकारी अपीलांट को पटवारी हल्का से दिनांक 03.05.2024 को हुई

जिस पर अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रकरण की पत्रावली का अवलोकन तहसील बाडी में किया गया निर्णय की प्रमाणित प्रति के लिये आवेदन दिनांक 03.05.2024 को किया गया जिस पर उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति दिनांक 06.05.2024 को प्राप्त हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट या अपीलान्ट के परिवारीजन पर नही हुई। नोटिस की तामील विधिवत तामील नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2020 विधि सम्मत नही है। अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित आराजी से अपना कब्जा सम्बत् 2076 में ही हटा लिया है तथा भविष्य में भी कभी कब्जा नही करेगा ना ही वर्तमान में अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा है। इस बावत् अपीलान्ट पृथम से शपथ पत्र देने को तैयार है। जानकारी दिनांक 03.05.20524 व नकल निर्णय की प्रति प्राप्त करने की दिनांक 06.05.2024 से अन्दर म्याद है तथा पृथक से म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलान्टांस ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.01.2020 निरस्त किये जाने तथा सिविल कारावास की सजा माफ किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित बिन्दुओं दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त विवादित आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में वह उक्त आराजी पर कब्जा नहीं करेगा वर्तमान में अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में सजा के बिन्दु को माफ करने हेतु निवेदन किया।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट बार–बार अतिक्मण करने का आदी है। उसके द्वारा इससे पूर्व भी विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसे मौके से बेदखल किया गया था अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिकमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने ग्राम फौदपुरा तहसील बाडी की आराजी खसरा नम्बर 784 रकवा 16 वीघा 16 विस्वा व 1103 रकवा 06 बीघा एवं खसरा नं0 1149 रकवा 04 बीघा 19 विस्वा में से 09 बीघा ग्राम फौदपुरा चारागाह भूमि पर सम्वत् 2076 फसल रबी में नाजायज अतिक्रमण किया जाना सावित है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी सावित है कि अपीलान्ट ने संवत 2075 में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जिसके साक्ष्य खसरा परिवर्तनशील (P–14) की छायाप्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे शामिल है। पुनः नाजायज

कब्जा किये जाने पर अतिक्रमी पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है। जिसका अपीलान्ट को आवंटन एवं नियमन नहीं किया जा सकता है। अपीलान्टांस ने वहस में यह कथन किया है कि अपीलान्टांस ने उक्त विवादित आराजी से अपना अतिक्रमण हटा लिया है तथा भविष्य में वह उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा इस बावत् अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो की अपीलान्ट ने विवादित आराजी से अपना कब्जा हटा लिया है। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश 10.01.2020 के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक 09.05.2024 को प्रस्तुत की है अर्थात उक्त अपील 04 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत म्याद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 में 04 वर्षो से अधिक का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नही किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप करना हम उचित नही पाते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2020 यथावत रखा जाता है। अतः आदेश है कि अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है तथा नायब तहसीलदार कंचनपुर को आदेश दिया जाता है कि वह अपने उक्त आदेश की पालना तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर